

## कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, जोधपुर मण्डल, जोधपुर

पुलिस लाइन के सामने रातानाडा, जोधपुर राज0 दूरभाष सं.0291-2511091 ई-मेल ddsecedujothpur@gmail.com


### “ कार्यालय-आदेश ”

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा-माध्य / संस्था/एफ-1/12102/सी.भ./ व. अ./सी.भ./2011-12 दिनांक 07.04.17 के अनुसरण में राज0लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक भर्ती परीक्षा 2011 के संशोधित परिणाम में सलग्न सूची अनुसार विभिन्न विषयों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर पदस्थापन के लिए इस कार्यालय को सुपुर्द किए जाने के फलस्वरूप इन्हें वेतनमान पीबी-2(9300-34800) ग्रेड पे 4200 में दो वर्ष की अवधि हेतु प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत मानदेय पर नियुक्ति प्रदान की जाकर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(6) एफडी(नियम)/05/दिनांक 13.03.2016 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय 14660/ (अक्षर रुपये चौदह हजार छः सौ साठ) अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूपमें देय होगा। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.8(1) कार्मिक/क-2/2003/दिनांक 09.06.2013 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेशन योजनान्तर्गत होगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे:-

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा। पूर्व से राजकीयसेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी स्वयं सत्यापित प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जॉच विभाग स्तर पर कार्यवाही की जानी शेष है अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य सरकार से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाये जाने के अध्याधीन प्रदान की जा रही है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 10/-रु के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक /प्रशैक्षिक योग्यता व वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनक विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेंगी।
4. आवेदन पत्र के साथ सलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कार्यग्रहण कराने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगे। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगे।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि “ अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए।” यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाए।
6. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण-पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। परन्तु अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण कराने से पूर्व इसकी पालना सुनिश्चित करें।
7. धौलपुर/भरतपुर जिले के जाट जाति वर्ग को कार्मिक (क-2) विभाग के पत्र क्रमांक प.17(9) कार्मिक/क-2/2015के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डीबीसीडब्ल्यू एल 6046/99 रतनलाल बागडी बनाम सरकार व अन्यपिछड़ा वर्ग में आरक्षण का लाभ देय नहीं है। यदि ऐसे अभ्यर्थी पाया जाता है तो, संबंधित संस्था प्रधान इन्हें कार्यग्रहण नहीं करावें। सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करें।

8. चयनित अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण कराने से पूर्व उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की आवश्यक रूप से जांच करें तथा अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवें की उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा।
9. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पाट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (अण्डरटेकिंग) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।
10. यह नियुक्तिमाननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 795/2015 राधेश्याम गोदारा व अन्य बनाम आयोग व अन्य तथा समकक्ष अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश के अंतिम निर्णय के अधधीन रहेंगे।
11. इन अभ्यर्थियों को अपने पदस्थापित स्थान पर दिनांक 30.04.2017 तक अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करना होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगे।


  
(नूतनबाला कपिला)

उप निदेशक (माध्यमिक)  
शिक्षा विभाग, जोधपुर

दि 17.04.2017

क्रमांक:- ईडीडी/माध्य/जोध/ईए/आरपीएससी-11 सशो. परि./व.अ./जोधपुर/17/1245  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (गुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन उप सचिव कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर राजस्थान।
5. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, पाली मण्डल, पाली मारवाड।
8. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा जोधपुर मण्डल, जोधपुर।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम, द्वितीय जोधपुर / पाली मण्डल।
10. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, जोधपुर-पाली मण्डल।
11. अवधायक, वरिष्ठता अनुभाग, स्थानीय कार्यालय।
12. संबंधित संस्था प्रधान।
13. संबंधित अभ्यर्थी को पंजीकृत डाक के माध्यम से।
14. निजी/रक्षक पंजिका।



उप निदेशक (माध्यमिक)  
शिक्षा विभाग, जोधपुर

## कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, जोधपुर मण्डल, जोधपुर

पुलिस लाइन के सामने, रातामाडा, जोधपुर राज०

क्रमांक: ईडीडी/माध्य/जोध/ईए/ब030/आरपीएससी 2011 संशोधित/2017/1245

दिनांक : 17.04.2017

आदेश संख्या - 1

विषय - अंग्रेजी

## RPSC 2011 संशोधित परिणाम

क्र.सं.	मेरिट क्रमांक	वर्ग	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	स्थायी पता	जन्मतिथि	रोल नंबर वगैरे प्रतियोगिताओं का पता दर्ज करें।	पदस्थापन स्थान	विद्यमान वेतन/नियत पारिश्रमिक
1	1623	GEN	हिम्मत सिंह	गोरधन सिंह	रु० राया, पो. बरवाला बाया - मकराना, नागौर	01-06-1982	GE,LD	राजमावि छीला, लोहावट जिला - जोधपुर	नियत पारिश्रमिक
2	1853	GEN	तृप्ति शर्मा	विष्णु चन्द्र व्यास	ए - 36, कीर्ति नगर, टॉक रोड, जयपुर	10-08-1970	GE,WE,DV	रामावि कलाऊ, देवू जिला - जोधपुर	नियत पारिश्रमिक
3	1398	BC	कविता यादव	मुरलीधर यादव	3511, सुतर खाना मोहल्ला, नसीराबाद, अजमेर	05-04-1987	BC,WE	रामावि बाण्डासर, शिव जिला - बाड़मेर	विद्यमान वेतन
4	2035	ST	सुनीता मीना	गुलाबचन्द्र मीना	गांव - पावटा, तह० कोटपुतली, जयपुर	28-03-1987	ST,WE	रामावि लकडासर, सेडवा जिला - बाड़मेर	नियत पारिश्रमिक
5	1636	SC	कपिल वर्मा	प्रहलाद सहाय वर्मा	शंकर कॉलोनी, तह० के पास, शाहपुरा, जयपुर	09-09-1985	SC	रामावि रनाऊ, सम जिला - जैसलमेर	नियत पारिश्रमिक

## RPSC 2011 संशोधित परिणाम

विषय - सामाजिक विज्ञान

क्र.सं.	मेरिट क्रमांक	वर्ग	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	स्थायी पता	जन्मतिथि	रोल नंबर वगैरे प्रतियोगिताओं का पता दर्ज करें।	पदस्थापन स्थान	विद्यमान वेतन/नियत पारिश्रमिक
1	2320	BC	जयन्त कुमार जाँगिड	प्रभुदयाल जाँगिड	ग्राम पोस्ट - बामनावास, तह० छिडावा, झुन्झुनु	05-02-1973	BC,EX	रामावि भाटा, सिणघरी जिला - बाड़मेर	नियत पारिश्रमिक
2	2326	BC	भवतरलाल राय	उदराम राय	लूम्बारा नगर, विशनावास लोहावट, तह० लोहावट, जोधपुर	24-07-1976	BC,EX	रामावि पदमसिंह का पन्ना, शेरगढ जिला - जोधपुर	नियत पारिश्रमिक

## RPSC 2011 संशोधित परिणाम


विषय - हिन्दी

क्र.सं.	मेरिट क्रमांक	वर्ग	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	स्थायी पता	जन्मतिथि	रोल नंबर वगैरे प्रतियोगिताओं का पता दर्ज करें।	पदस्थापन स्थान	विद्यमान वेतन/नियत पारिश्रमिक
1	2221	ST	ललिता कुमारी मीणा	रामेश्वर लाल मीणा	ग्राम पोस्ट - सिधाना व पुराना बस स्टैण्ड, झुन्झुनु	03-04-1979	ST,WE,DV	रामावि भैरुसागर, औसिया जिला - जोधपुर	नियत पारिश्रमिक
2	2230	BC	इन्द्रा देवी	दयाराम महला	चक - 2 एच डी पी पो - गोलूवाला, तह० पीलीबंगा, हनुमानगढ	15-08-1977	BC,WE,WD	राजमावि बारू, बाप जिला - जोधपुर	नियत पारिश्रमिक

## RPSC 2011 संशोधित परिणाम

विषय - विज्ञान

क्र.सं.	मेरिट क्रमांक	वर्ग	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	स्थायी पता	जन्मतिथि	रोल नंबर वगैरे प्रतियोगिताओं का पता दर्ज करें।	पदस्थापन स्थान	विद्यमान वेतन/नियत पारिश्रमिक
1	1584	BC	हेमलता सोनी	दिनेश	दिनेश कुंज, 7/12 हनुमान बाग कॉलोनी, नागौर	26-01-1989	BC,WE	रामावि कांकाणी, लूणी जिला - जोधपुर	नियत पारिश्रमिक

  
उप निदेशक, माध्यमिक  
शिक्षा विभाग, जोधपुर

## कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, जोधपुर मण्डल, जोधपुर

पुलिस लाइन के सामने रातानाडा, जोधपुर राज0


## " कार्यालय-आदेश "

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा-माध्य/संस्था/ एफ-1/12102/ सी.भ./ व. अ./वो.11/2013/ दिनांक 07.04.17 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक भर्ती परीक्षा 2013 रिशफल परिणाम से चयनित आशार्थियों (गणित) को नियुक्ति हेतु पदस्थापन के लिए सुपुर्द करने के फलस्वरूप इन्हें पीबी-2(9300-34800) ग्रेड पे 4200 में दो वर्ष की अवधि हेतु प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत मानदेय पर नियुक्ति दी जाकर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(6) एफडी(नियम)/05/दिनांक 13.03.2016 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय 14660/ (अक्षरे रूपये चौदह हजार छः सौ साठ) अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.8(1) कार्मिक/क-2/2003/दिनांक 09.06.2013 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेशन योजनान्तर्गत होगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे:-

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी स्वयं सत्यापित प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक, प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जॉच विभाग स्तर पर कार्यवाही की जानी शेष है अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य सरकार से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाये जाने के अध्याधीन प्रदान की जा रही है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 10/-रु0 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता व वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनक विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेंगी।
4. आवेदन पत्र के साथ सलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कार्यग्रहण कराने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगे। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगे।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण-पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो ही मान्य होगा। संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण कराने से पूर्व इसकी पालना सुनिश्चित करें।
6. धौलपुर/भरतपुर जिले के जाट जाति वर्ग को कार्मिक (क-2) विभाग के पत्र क्रमांक प.17(9) कार्मिक/क-2/2015 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डीबीसीडब्ल्यू एल 6046/99 रतनलाल बागडी बनाम सरकार व अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण का लाभ देय नहीं है। यदि ऐसे अभ्यर्थी पाया जाता है तो, संबंधित संस्था प्रधान इन्हें कार्यग्रहण नहीं करावें। सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करें।
7. चयनित अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण कराने से पूर्व उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की आवश्यक रूप से जॉच करें तथा अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवें की उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेंगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा।
8. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (अण्डरटेकिंग) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।

09. यह नियुक्ति आदेश एतद्विषयक विभिन्न माननीय न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न याचिकाओं/ अपील के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेंगे।
10. इन अभ्यर्थियों को अपने पदस्थापित स्थान पर दिनांक 30.04.2017 तक अनिवार्यरूप से कार्यग्रहण करना होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगे।

  
(नूतनबाला कपिला)


उप निदेशक (माध्यमिक)  
शिक्षा विभाग, जोधपुर

क्रमांक:- ईडीडी/माध्य/जोध/ईए/आरपीएससी-13/रिशफल/व.अ गणित/जोधपुर/17/1246

दि 17.04.2017

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन उप सचिव कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर राजस्थान।
5. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, पाली मण्डल, पाली मारवाड।
8. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा जोधपुर मण्डल, जोधपुर।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम, द्वितीय जोधपुर / पाली मण्डल।
10. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, जोधपुर-पाली मण्डल।
11. अवधायक, वरिष्ठता अनुभाग, स्थानीय कार्यालय।
12. संबंधित संस्था प्रधान।
13. संबंधित अभ्यर्थी को पंजीकृत डाक के माध्यम से।
14. निजी/रक्षक पंजिका।

  
उप निदेशक (माध्यमिक)  
शिक्षा विभाग, जोधपुर

## कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, जोधपुर मण्डल, जोधपुर

पुलिस लाइन के सामने, रातानाडा, जोधपुर राज0

क्रमांक: ईडीसी/राज्य/जोध/ईए/व030 गणित/आरपीएससी 2013 रिशफल/2017/1246

दिनांक : 17.04.2017

आदेश संख्या - 1

जिला - जोधपुर

क्र.सं.	नेरिट क्रमांक	वर्ग	नाम अर्पण	पिता का नाम	स्थाई पता	जन्मतिथि	रीटर्न करने वाले शिक्षक के प्रति अर्पण का स्थान	पदस्थापन स्थान	विद्यमान वेतन/नियत पारिश्रमिक
1	2125	GEN	संजय कुमार	मांगे राम	ग्राम व पो- माण्डी पिरानू, त0 - चरखी दादरी, भिवानी, हरियाणा, 127308	04-04-1983	GE, LD	रामादि करेला, हापिणी जिला - जोधपुर	विद्यमान वेतन
2	1928	ST	भगवान सिंह मीना	कालीचरण मीना	32 मीना बस्ती, गिरोनिया (रीछरा का पुरा) तह0 बसेडी, बीलपुर	02-06-1988	ST	राउमावि बुगडी, बाप जिला - जोधपुर	नियत पारिश्रमिक

  
उप निदेशक, माध्यमिक  
शिक्षा विभाग, जोधपुर

## कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, जोधपुर मण्डल, जोधपुर

पुलिस लाइन के सामने सतानाडा, जोधपुर राज0

## " कार्यालय-आदेश "

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा-माध्य/संस्था/ एफ-1/12102/सी.भ./व.अ./एन.जे/2013/ दिनांक 07.04.17 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक भर्ती परीक्षा 2013 आरक्षित सूची से सलग्न सूची के अनुसार विभिन्न विषयों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर पदस्थापन के लिए सुपुर्द करने के फलस्वरूप इन्हें पीबी-2(9300-34800) ग्रेड पे 4200 में दो वर्ष की अवधि हेतु प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत मानदेय पर नियुक्ति दी जाकर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.12(6) एफडी(नियम)/05/दिनांक 13.03.2016 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय 14660/ (अक्षरों रुपये चौदह हजार छः सौ साठ) अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.8(1) कार्मिक/क-2/2003/दिनांक 09.06.2013 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेशन योजनान्तर्गत होगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे:-

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)-डीओपी/ए-II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी स्वयं सत्यापित प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जाँच विभाग स्तर पर कार्यवाही की जानी शेष है अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य सरकार से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाये जाने के अध्याधीन प्रदान की जा रही है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 10/-रु0 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक /प्रशैक्षिक योग्यता व वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
4. आवेदन पत्र के साथ सलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कार्यग्रहण कराने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगे। मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगे।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण-पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो ही मान्य होगा। संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण कराने से पूर्व इसकी पालना सुनिश्चित करें।
6. धौलपुर/भरतपुर जिले के जाट जाति वर्ग को कार्मिक (क-2) विभाग के पत्र क्रमांक प.17(9) कार्मिक/क-2/2015 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डीबीसीडब्ल्यू एल 6046/99 रतनलाल बागडी बनाम सरकार व अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण का लाभ देय नहीं है। यदि ऐसे अभ्यर्थी पाया जाता है तो, संबंधित संस्था प्रधान इन्हें कार्यग्रहण नहीं करावें। सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करें।
7. चयनित अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण कराने से पूर्व उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की आवश्यक रूप से जाँच करें तथा अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवें की उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा।

08. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यार्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (अण्डरटेकिंग) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।
09. यह नियुक्ति आदेश एतद्विषयक विभिन्न माननीय न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न याचिकाओं/ अपील के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेंगे।
10. इन अभ्यार्थियों को अपने पदस्थापित स्थान पर दिनांक 30.04.2017 तक अनिवार्यरूप से कार्यग्रहण करना होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगे।




(मूर्तनबाला कपिला)  
उप निदेशक (माध्यमिक)  
शिक्षा विभाग, जोधपुर

क्रमांक:- ईडीडी/माध्य/जोध/ईए/आरपीएससी-13/आर.सूची/व.अ /जोधपुर/17/1247

दि 0 17.04.2017

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन उप सचिव कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर राजस्थान।
5. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, पाली मण्डल, पाली मारवाड।
8. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा जोधपुर मण्डल, जोधपुर।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम, द्वितीय जोधपुर /पाली मण्डल।
10. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, जोधपुर-पाली मण्डल।
11. अवधायक, वरिष्ठता अनुभाग, स्थानीय कार्यालय।
12. संबंधित संस्था प्रधान।
13. संबंधित अभ्यार्थी को पंजीकृत डाक के माध्यम से।
14. निजी/रक्षक पंजिका।

  
उप निदेशक (माध्यमिक)  
शिक्षा विभाग, जोधपुर



## कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, जोधपुर मण्डल, जोधपुर

पुलिस लाइन के सामने, रातानाडा, जोधपुर राज्0

क्रमांक: ईडीडी/माध्य/जोध/ईए/व0अ0 अंग्रेजी/आरपीएससी 2013 आरक्षित/2017/1247

दिनांक : 17.04.2017

## RPSC 2013 आरक्षित सूची

क्र.सं.	भेरीट क्रमांक	वर्ग	नाम अर्थात्	पिता का नाम	रुवाई पता	जन्मतिथि	रीस्टर घटन वर्ग जिसके प्रति अर्थात् का घटन हुआ।	परस्थापन स्थान	विषय - अंग्रेजी	विद्यमान वेतन/नियत पारिश्रमिक
1	R-887	GEN	प्रीती रानी	गोविन्द सरन खण्डेलवाल	न.न. 4/343, बालूगंज, आगरा	06-01-1980	GE,WE,WD	राउमावि बारु, बाप जिला - जोधपुर	विषय - अंग्रेजी	नियत पारिश्रमिक

## RPSC 2013 आरक्षित सूची

क्र.सं.	भेरीट क्रमांक	वर्ग	नाम अर्थात्	पिता का नाम	रुवाई पता	जन्मतिथि	रीस्टर घटन वर्ग जिसके प्रति अर्थात् का घटन हुआ।	परस्थापन स्थान	विषय - उर्दू	विद्यमान वेतन/नियत पारिश्रमिक
1	R-10	GEN	सांगीवान पालीवाल	खेमचन्द पालीवाल	गांव - मण्डला खुर्द, पो - मण्डला कलां तह0 लोहावट, बाया - पोकरण, जोधपुर	25-12-1988	GE	राउमावि राजमथाई, पोकरण जिला - जैसलमेर	विषय - उर्दू	विद्यमान वेतन

  
उप निदेशक, माध्यमिक  
शिक्षा विभाग, जोधपुर